प्रेषक.

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी, अनु सचिव, उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महोदय,

जिलाधिकारी,

उन्नाव, सिद्धार्थनगर, झांसी एवं फतेहपुर ।

राजस्व अनुभाग10- लखनजः दिनांकः 05-08-2025 विषयः-वितीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं 0-303/1-11-2016- 4(जी)/2016, दिनांक 27.06.2016, अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा वेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी-तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, वोरवेल में गिरना, अधिसूचना सं0-393/1-11-2018-4(जी)/2016,, दिनांक 17.10.2018 द्वारा मानव मानव वन्य जीव द्वन्द्व एवं अधिसूचना सं0-387/एक11-2021--4(जी)/2015, दिनांक 09.06.2021 द्वारा कुआं, नदी, झील, तालाव, पोखर, नहर, नाला, गङ्ख, जल प्रपात में इब कर होने वाली मृत्यु तथा सं 0-586/एक-11-2022-4(जी)/2015, दिनांक 13.10.2022 द्वारा सांड एवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली घटनाओं को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्ती/प्रतिवन्धों के अधीन रू० 6,10,00,000/- (रूपये छः करोड़ दस लाख मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित धनराशि संवंधित जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष म्यीकति पदान करती हैं:-

स्वानुगरा प्रदाण नगरा है:										
क्र0	जनपद का नाम	आपदा का प्रकार		मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)					
1	2	3	1	4 graha	5					
1	उन्नाव	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं	(09)	224505800060942	50.00					
2	सिद्धार्थनगर	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं	(09)	224505800060942	150.00					
3	झांसी	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं	(09)	224505800060942	200.00					
4	फतेहपुर	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं	(09)	224505800060942	210.00					
	W. 184	कुल योग	A Tree State	610.00						
(रूपये छ: करोड़ दस लाख मात्र)										

नियम च शर्ते /प्रतिबन्धी

(1) श्वीकृत धनगणि आहरित करके वैंक खाते में नहीं रखी ऋयेगी अधितु आपदा से प्रभवित च्यक्तियाँ/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हैतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत रवीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वीरत ढंग से वितरित किये जाने हैतु वित विभाग के शारानादेश सं०-ए-१-८०३/दस-२०१३-१०(२८)/२०११, दिनाक १०.१०.२०१३ (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रैपित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेवसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) मैं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार रो शीधे लाभार्थी के वैंक खातें में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्वित किया जारो ।

(2) जिस गद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का ठूपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद्/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा। (3) भारत सरकार के पत्र सं 0-33-03/11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को सहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक 2020-NDM-1दिनांक दर्रे निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंदित धुन्राशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं

मानक दरों के आधार पर करेंगे। (4) राज्य आपदा गोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्वित करते हुए

निर्धारित अविधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्वसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदपयोग सनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का

अतः आपदा गोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित

उपयोग सुनिश्वित किया जाये।

(6) राज्य आपदा गोचक निधि सं स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा -जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित

प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा गोचवा निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग /समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1- 11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई वचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वितीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2026 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वितीय हस्तपुस्तिका खण्ड-५ भाग-१ के प्रस्तर-३६९-एच

के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(९) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक गाह में गहालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को

(10) मृद-09 की उप मदौँ में स्वीकृत की जा रही धनराशि यथा आवश्यकतानुसार विभिन्न डप-मदौँ में भी व्यय्/डपयोग की जा सकेगी। विगत वर्ष की भांति शासन के निर्देश के क्रम में

इसका लेखा-जोखा भी उप मदवार रखा जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू० 6,10,00,000/- (रूपये छः करोड़ दस लाख मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-ट्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा से राहत हैतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally अभुनदीस्प्र SHAILENDRA MANI TRIPATHI Date: 05-08-2025 13:01:23

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी) अन् सचिव।

संख्या-852(1)/एक10-2025-, तिद्दनांक । प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, ५०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनज।
- 5- सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 7- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल ।

आजा से.

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी) अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026 आवंटन दिनांक-06/08/2025

प्रेषण संख्या:-

852

आवंटन आदेश संख्या:-

001-852

अनुदान संख्या:-

51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-

2026 का आवंटन)

लेखाशीर्षकः-

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)

05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय

09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश

फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S No	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
_	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी ,01	वर्तमान प्रगामी	21000000 52100000	21000000 52100000
2	झॉसी-4217-जिलाधिकारी ,01		20000000 27500000	20000000 27500000
3	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी ,01	वर्तमान प्रगामी	500000	5000000 22000000
4	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी ,01	वर्तमान प्रगामी	15000000	15000000 42096000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1 0100000	61000000 143696000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छ: करोड़ दस लाख महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौदह करोड़ छत्तीस लाख छियानवे हजार

> वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी राहत आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश।